व्यापार-तकनीक सहयोग पर फोकस

भारत-ईयू एफटीए आर्थिक अवसरों का बड़ा द्वार खोल सकता है : जयशंकर

ब्रसेल्स, 17 मार्च. भारत और यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक रिश्तों को नई दिशा देने की दिशा में अहम प्रगति देखने को मिली है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ब्रसेल्स दौरे के दौरान यूरोपीय संघ (ईयू) के शीर्ष नेताओं के साथ व्यापक चर्चा की, जिसमें प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को केंद्र में रखा गया.

यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चितताओं से गुजर रही है और देश मजबूत व्यापारिक साझेदारियों की ओर बढ़ रहे हैं. इस दौरान उर्सुला वॉन डेर लेयेन और एंटोनियो कोस्टा समेत कई वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई बैठकों में व्यापार, तकनीक, सुरक्षा और निवेश के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया. जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत-ईयू एफटीए दोनों पक्षों के लिए आर्थिक अवसरों का बड़ा द्वार खोल सकता है और यह साझेदारी को एक नए स्तर पर ले जाएगा. जयशंकर ने कहा कि एफटीए को अंतिम रूप देना भारत-ईयू संबंधों में एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा, जो न केवल आर्थिक क्षमता को उजागर करेगा बल्कि रणनीतिक साझेदारी को भी गहराई देगा. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि एफटीए के लाभों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए दोनों पक्षों को व्यावहारिक कदम उठाने होंगे. इसमें व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के साथ-साथ तकनीकी सहयोग को मजबूत करना शामिल है.

> टैलेंट मोबिलिटी और स्किल्स के आदान-प्रदान को भी इस साझेदारी का अहम हिस्सा बताया गया. भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) को बढ़ावा देने और पेशेवरों की आवाजाही को आसान बनाने पर भी सहमति बनी. इसके अलावा, सुरक्षा और रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने तथा सूचना सुरक्षा समझौते को जल्द अंतिम रूप देने पर भी जोर दिया गया.

रुपया दो पैसे हुआ मजबूत

मुंबई, 17 मार्च. अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया सोमवार को 1.75 पैसे मजबूत हुआ और कारोबार की समाप्ति पर एक डॉलर 92.2825 रुपये का बोला गया. पिछले कारोबारी दिवस पर भारतीय मुद्रा 92.30 रुपये प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर रही थी. रुपये में आज उतार-चढ़ाव रहा. यह 14 पैसे लुढ़ककर 92.44 रुपये प्रति डॉलर पर खुला और दोपहर से पहले 92.4750 रुपये प्रति डॉलर तक उतर गया था. कारोबारियों ने बताया कि निजी और सार्वजनिक बैंकों की डॉलर खरीद बढ़ाने से भारतीय मुद्रा को मजबूती मिली और कारोबार की समाप्ति पर यह 92.2825 रुपये प्रति डॉलर तक मजबूत हुई. भारतीय पूंजी बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली से रुपये पर दबाव रहा.

अहमदाबाद मंडल में 'कवच 4.0' का विस्तार तेज

- सुरक्षित रेल संचालन की ओर बड़ा कदम
- कई सेक्शनों में इंस्टॉलेशन कार्य जारी
- इंजनों में तेजी से लग रही कवच प्रणाली

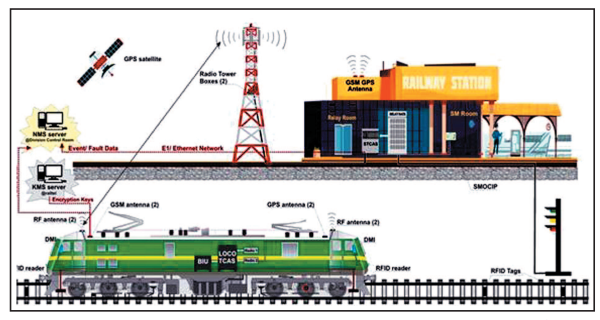

अहमदाबाद, 17 मार्च. भारतीय रेलवे की उन्नत स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली 'कवच 4.0' का विस्तार अहमदाबाद रेल मंडल में तेजी से किया जा रहा है. यह प्रणाली ट्रेन संचालन को सुरक्षित, नियंत्रित और आधुनिक बनाने की दिशा में अहम पहल मानी जा रही है.

कवच एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, जो लोको पायलट को गति सीमा का पालन करने में मदद करती है. आवश्यकता पड़ने पर यह स्वत: ब्रेक लगाकर संभावित दुर्घटनाओं को रोकती है. इसमें ऋन्नड्ढ तकनीक के जरिए ट्रेन की सटीक लोकेशन और सिग्नल की जानकारी मिलती है.

अहमदाबाद मंडल में वटवा लोको शेड के 180 इंजनों में से 72 में कवच लगाया जा चुका है, जबकि साबरमती शेड में 34 में से 6 इंजनों पर कार्य पूरा हो चुका है. ट्रैक स्तर पर अहमदाबाद-पालनपुर, सामाख्याली और गांधीधाम सेक्शनों में सैकड़ों किलोमीटर पर इंस्टॉलेशन कार्य जारी है.

हाल ही में गांधीनगर कैपिटल-कलोल सेक्शन पर सफल ट्रायल में सिस्टम ने दो ट्रेनों के पास आने पर स्वत: ब्रेक लगाकर टक्कर टाल दी. रेलवे के अनुसार, देशभर में भी कवच 4.0 का विस्तार तेजी से हो रहा है. यह तकनीक भविष्य में रेल यात्रा को और अधिक सुरक्षित बनाने में अहम भूमिका निभाएगी.

फरवरी में निर्यात घटकर 36.61 अरब डॉलर रह गया

नई दिल्ली, 17 मार्च. सालाना आधार पर फरवरी में निर्यात घटकर 36.61 अरब डॉलर रह गया जबकि मासिक आधार पर इसमें वृद्धि हुई है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि फरवरी 2025 में माल निर्यात 36.91 अरब डॉलर और जनवरी 2026 में 36.56 अरब डॉलर रहा था.

जारी आंकड़ों के अनुसार, कच्चे तेल, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और सोने के आयात में बड़े उछाल के कारण फरवरी में माल आयात एक साल पहले के 51.33 अरब डॉलर से बढ़कर 63.71 अरब डॉलर पर पहुंच गया. इस प्रकार वस्तु व्यापार घाटा लगभग दोगुना होकर 27.10 अरब डॉलर पर पहुंच गया. फरवरी 2025 में यह 14.32 अरब डॉलर रहा था. फरवरी में 12.97 अरब डॉलर के कच्चे तेल और पेट्रोलियम का आयात किया गया जो सालाना आधार पर 9.08 प्रतिशत अधिक है. सोने का आयात 218.55 फीसदी बढ़कर 7.45 अरब डॉलर और चांदी का 285.23 प्रतिशत बढ़कर 1.66 अरब डॉलर पर पहुंच गया.

इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का आयात 10.10 अरब डॉलर रहा जो फरवरी 2025 की तुलना में 33.43 प्रतिशत अधिक है. सेवाओं का अनुमानित आयात 15.76 फीसदी बढ़कर 16.38 अरब डॉलर और निर्यात 24.90 फीसदी बढ़कर 39.53 अरब डॉलर रहा. माल और सेवाओं का कुल आयात 80.09 अरब डॉलर और निर्यात 76.13 अरब डॉलर दर्ज किया गया.

नीता अंबानी को ह्यूमैनिटेरियन अवॉर्ड 2025 सम्मान

भुवनेश्वर, 17 मार्च। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता एम. अंबानी को मशहूर केआईएसएस ह्यूमैनिटेरियन अवॉर्ड 2025 दिया गया। यह अवॉर्ड श्रीलंका के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहन मुनासिंघे ने आइआइटी, केआईएसएस और केआईएमएस के फाउंडर डॉ. अच्युत सामंत की मौजूदगी में दिया। इंस्टीट्यूशन के सीनियर अधिकारी और बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स और जाने-माने लोग इस फंक्शन में शामिल हुए।

इस अवॉर्ड में श्रीमती अंबानी के बेहतरीन मानवीय कामों और रिलायंस फाउंडेशन के ज़रिए शिक्षा, हेल्थकेयर, गांवों में बदलाव, महिलाओं को मज़बूत बनाने और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के ज़रिए सामाजिक विकास में उनके अहम योगदान को पहचान दी गई। अपनी स्पीच में, श्रीमती अंबानी ने कहा कि डॉ. सामंत ने शिक्षा के दो मॉडर्न मंदिर बनाए हैं - आइआइटी और केआईएसएस ये दोनों इंस्टीट्यूशन हमारे देश के लिए गर्व की बात हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें मशहूर केआईएसएस ह्यूमैनिटेरियन अवॉर्ड पाकर गर्व महसूस हो रहा है और कहा कि यह सम्मान सिर्फ़ उनका नहीं, बल्कि रिलायंस फाउंडेशन की पूरी टीम का है। केआईएसएस के 40,000 स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा, आपने मुझे यहां जो प्यार और स्नेह दिया है, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। उन्होंने कहा कि लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं है और जो लड़के कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं। स्टूडेंट्स को सलाह देते हुए उन्होंने कहा, यह तो बस शुरुआत है, आपका आखिरी गोल नहीं। आपको बड़े सपने देखने चाहिए, और उन सपनों को पाने के लिए आपको लगन से कड़ी मेहनत करनी होगी।

> उन्होंने आगे कहा कि के आइआइटी और केआईएसएस, इन दो शानदार इंस्टीट्यूशन्स में आना उनके लिए सच में एक गर्व की बात थी। उन्होंने कहा कि वह भगवान जगन्नाथ की पवित्र धरती पर आकर बहुत खुश हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ओडिशा का कल्चर, ट्रेडिशन और वैल्यूज़ बहुत रिच हैं, और ओडिशा के लोगों का नेचर के साथ गहरा और मज़बूत कनेक्शन है।

पीएमएमवाई से करोड़ों को मिला कारोबार का मौका : सीतारमण

मुद्रा योजना से छोटे उद्यमी सशक्त, बिना गारंटी लोन

देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने का एक मजबूत माध्यम बन चुकी योजना

नई दिल्ली, 17 मार्च. छोटे कारोबारियों और स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय सहायता को आसान बनाने में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अहम भूमिका निभा रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर इस योजना की उपयोगिता पर जोर देते हुए कहा कि बिना गारंटी लोन की सुविधा ने लाखों लोगों को अपने व्यवसाय शुरू करने और बढ़ाने का अवसर दिया है.

राज्यसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि यह योजना खासतौर पर गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि क्षेत्र के सूक्ष्म और छोटे उद्यमियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है. योजना के तहत शिशु, किशोर और तरुण श्रेणियों में अलग-अलग जरूरतों के अनुसार लोन दिया जाता है, जिससे शुरुआती स्तर से लेकर विस्तार कर रहे व्यवसायों तक सभी को मदद मिलती है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की उपलब्धियों और प्रभाव को रेखांकित करते हुए कहा कि यह योजना देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने का एक मजबूत माध्यम बन चुकी है. उन्होंने बताया कि योजना के तहत तीन प्रमुख श्रेणियां—शिशु (50,000 रुपये तक), किशोर (50,001 से 5 लाख रुपये तक) और तरुण (5 लाख से 10 लाख रुपये तक)—विभिन्न चरणों के व्यवसायों की जरूरतों को पूरा करती हैं. यह संरचना नए उद्यमियों को शुरुआत करने से लेकर अपने व्यवसाय का विस्तार करने तक निरंतर सहयोग प्रदान करती है. 31 मार्च 2025 तक के आंकड़ों का हवाला देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि लोन रिकवरी का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है. शिशु श्रेणी में गैर-निष्पादित संपत्तियां 12.4 प्रतिशत, किशोर में 9.4 प्रतिशत और तरुण में 7.92 प्रतिशत दर्ज की गई हैं.

> उन्होंने कहा कि बैंक इन बकाया ऋणों की वसूली के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, जिससे योजना की स्थिरता बनी रहे. सीतारमण ने 'तरुण प्लस' श्रेणी पर भी प्रकाश डाला, जिसके तहत पात्र उद्यमियों को 20 लाख रुपये तक का बिना गारंटी लोन दिया जाता है. यह सुविधा उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने पिछले 'तरुण' लोन का सफलतापूर्वक भुगतान किया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह योजना अभी अपेक्षाकृत नई है और इसे प्रभावी रूप से आंकने के लिए समय की जरूरत है.

तीन दिन गिरावट के बाद शेयर बाजारों में तेजी

567 अंक पर चढ़ा सेंसेक्स

172 अंक पर आगे रहा निफ्टी

मुंबई, 17 मार्च. घरेलू शेयर बाजारों में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन तेजी रही, हालांकि आईटी और एफएमसीजी कंपनियों में बिकवाली देखी गयी. बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 567.99 अंक (0.75 प्रतिशत) चढ़कर 76,070.84 अंक पर बंद हुआ. निफ्टी-50 सूचकांक भी 172.35 अंक यानी 0.74 प्रतिशत की बढ़त में 23,581.15 अंक पर पहुंच गया. ऑटो, धातु, मीडिया, रियलटी, वित्त, निजी बैंकों और टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद समूहों में मजबूत लिवाली के बीच आईटी व एफएमसीजी कंपनियों के सूचकांक गिरावट में रहे. मझौली और छोटी कंपनियों में भी तेजी रही. निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 1.03 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.65 प्रतिशत ऊपर बंद हुआ. सेंसेक्स की कंपनियों में इटरनल का शेयर लगभग पौने छह फीसदी मजबूत हुआ. टाटा स्टील में करीब साढ़े चार फीसदी और महिंद्रा एंड महिंद्रा में तीन प्रतिशत से अधिक की तेजी रही. बीईएल, एलएंडटी और भारती एयरटेल के शेयर दो प्रतिशत से ज्यादा चढ़े. मारुति सुजुकी, इंडिगो, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और ट्रेंट के शेयर एक से दो प्रतिशत के बीच मजबूत हुए.

चीन से व्यापार घाटा 9.5 लाख करोड़ के करीब

नई दिल्ली, 17 मार्च. भारत और चीन के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी चिंता भी जुड़ी है—तेजी से बढ़ता व्यापार घाटा. ताजा आंकड़ों के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से फरवरी के बीच भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर (करीब 9.5 लाख करोड़ रुपये) के करीब पहुंच गया है, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है.

जियो पेमेंट्स बैंक ने शुरू की यूपीआई कैश विड्रॉल सेवा

मुंबई, 17 मार्च. जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने यूपीआई आधारित कैश विदड्रॉल सेवा शुरू करने की घोषणा की है. जिसके तहत ग्राहक अब बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट टचपॉइंट्स पर कोड स्कैन कर नकद निकाल सकेंगे. मतलब बिना डेबिट कार्ड और पारंपरिक एटीएम होने के बाद भी ग्राहक अपना पैसा निकाल सकेंगे.

बैंक के अनुसार, नई सेवा खासतौर पर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के ग्राहकों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है, जहां ञ्चरू पहुंच सीमित है. ग्राहक अपने ऐप के माध्यम से ट्रांजैक्शन ऑथराइज कर आसानी से नकद प्राप्त कर सकेंगे. जियो पेमेंट्स बैंक ने कहा कि कार्डलेस कैश विड्रॉल सुविधा डिजिटल भुगतान और नकद उपयोग के बीच की दूरी को कम करेगी तथा पहली बार डिजिटल भुगतान अपनाने वाले उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित और सहायक वातावरण में यूपीआई अनुभव प्रदान करेगी.

समाचार विशेष

नितिन नबीन की सदन में क्या स्थिति होगी..?

नई दिल्ली. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन राज्यसभा को लिए निर्वाचित हो गए हैं. बिहार में पांच सीटों के लिए हुए चुनाव में एनडीए ने सभी सीट जीत ली. नितिन नबीन एनडीए के नंबर एक उम्मीदवार थे. अब वे उच्च सदन में आएंगे. उनको विधायी कामकाज का लंबा अनुभव है. वे 2006 से लगातार विधायक रहे हैं. राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद अब वे बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा देंगे.

कहा जा रहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी संजय मयूख को उस सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा. वे बिहार सरकार में

मंत्री बनेंगे. गौरतलब है कि मयूख का विधान परिषद का कार्यकाल जून में समाप्त हो रहा है. बहरहाल, अब बड़ा सवाल यह है कि नितिन नबीन संसद में पहुंचें हैं और उच्च सदन में बैठेंगे तो वहां उनकी क्या स्थिति होगी? भले उम्र और अनुभव में नितिन नबीन बाकी लोगों से कम हैं लेकिन उनका पद बहुत बड़ा है. वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे उनके भी बॉस हैं. हालांकि मोदी ने कभी यह बात जेपी नड्डा या अमित शाह के लिए नहीं कही थी कि वे उनके बॉस हैं. चूंकि उनको नितिन नबीन का कद बड़ा करना है इसलिए यह बात कही.

कब्जे की सूचना - (अचल संपत्ति के लिए) नियम 8-(1)

चूँकि, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से विख्यात) (IIFL-HFL) के प्राधिकृत अधिकारी हैं और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकताओं को राशि चुकाने के लिए एक माँग नोटिस जारी किया गया था, अतः उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को एतद्वारा संपत्ति से संबंधित लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन IIFL HFL द्वारा यहां उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज सहित प्रभारित किया जाएगा। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, यदि उधारकर्ता बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि से पहले किसी भी समय "IIFL HFL" की बकाया राशि, सभी लागतों, शुल्कों और व्ययों का भुगतान कर देता है, तो सुरक्षित संपत्तियां "IIFL HFL" द्वारा बेची या हस्तांतरित नहीं की जाएंगी और सुरक्षित संपत्तियों के हस्तांतरण या बिक्री के लिए "IIFL HFL" द्वारा कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।

उधारकर्ता का नाम /सह-उधारकर्ता	सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)	कुल बकाया बकाया राशि (रु.)	मांग सूचना की तिथि	कब्जे की तिथि
श्री मोहन लाल मेहर मोहन मसाले श्रीमती लीला बाई (प्रॉस्पेक्ट नं. IL 10360673)	मकान संख्या 387, पी.एच.एन. 04, वार्ड संख्या 06, सहकारी समिति के पास, ग्राम डोंगरगांव, सुसनेर, आगर मालवा, म.प्र., 465440, भारत। क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकारः भूमि क्षेत्रफल, कालीनक्षेत्रफल, निर्मितक्षेत्रफल। संपत्ति का क्षेत्रफलः 1178.00, 1001.00, 1178.00	रू.1228158/- बारह लाख अट्ठाईस हजार एक सौ अट्ठावन मात्र	05-08-2025	14/03/2026

अधिक जानकारी के लिए, कृपया शाखा कार्यालयः 102/103, दर्शन मॉल, 15/2 रेस कोर्स रोड, इंदौर- 452001, म.प्र. या कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नं. 98, फेज-IV, उद्योग विहार, गुरुग्राम, हरियाणा में अधिकृत अधिकारी से संपर्क करें।

स्थानः इन्दौर
दिनांकः 18.03.2026
एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड के लिए।

CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED

कैप्री ग्लोबल कैपीटल लिमिटेड

पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय 502, टॉवर-ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013, सर्कल ऑफिस पता - 9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली - 110060

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के अंतर्गत, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (CGCL) के प्राधिकृत अधिकारी हैं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत डिमांड नोटिस जारी किए हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) ("उक्त उधारकर्ता(ओं)") को उन्हें जारी किए गए संबंधित डिमांड नोटिस में उल्लिखित राशियों को चुकाने के लिए कहा गया है, जो नीचे भी दिए गए हैं। उपरोक्त के संबंध में, उक्त ऋणी(यों) को एक बार फिर सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर, नीचे उल्लिखित राशियाँ, साथ ही नीचे उल्लिखित तिथि(यों) से भुगतान और/या वसूली की तिथि तक लागू ब्याज, उक्त ऋणी(यों) द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/लेखों, यदि कोई हों, के साथ पठित ऋण समझौते के अंतर्गत देय, सीजीसीएल को अदा करें। ऋण की उचित अदायगी हेतु प्रतिभूति के रूप में, उक्त ऋणी(यों) द्वारा निम्नलिखित संपत्तियाँ क्रमशः सीजीसीएल के पास गिरवी रखी गई हैं।

स. क्र.	उधारकर्ता (ओं)/ गारंटर (ओं) का नाम	मांग नोटिस की तिथि और राशि	सुरक्षित परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण
1.	(ऋण खाता संख्या) LNMESHA000064772 (पुराना) 80500005844818 (नया) (शामगढ़ शाखा) और LNMEMND000050345 (पुराना) 80400005880277 (नया) (मंदसौर शाखा) श्री आदेश पाटीदार (उधारकर्ता) श्री कारू लाल पाटीदार, श्रीमती मांगी बाई (सह-उधारकर्ता)	09.03.2026 रु. 39,46,121/- (04.03.2026 तक)	संपत्ति संख्या 1: वह संपत्ति जिसमें भूमि और भवन शामिल हैं, आवासीय प्लॉट/मकान संख्या 115, भूमि क्षेत्र 17313 वर्ग फुट (अर्थात 1609.01 वर्ग मीटर), वार्ड संख्या 02, सरल संख्या 102, ग्राम ढलपत, पीएच संख्या 45, तहसील सुवासरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश - 458888। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तरः साझा सड़क, दक्षिणः श्री रामेश्वर का मकान, पूर्वः साझा सड़क, पश्चिमः श्री जय प्रकाश का प्लॉट। संपत्ति संख्या 2: वह संपत्ति जिसमें भूमि और भवन शामिल हैं, आवासीय प्लॉट/मकान जो सर्वे संख्या 250, नया पीएच संख्या 12 (पुराना पीएच संख्या 53) पर स्थित है, भूमि क्षेत्र 900 वर्ग फुट। मध्य प्रदेश - 458888, ग्राम गुरड़िया प्रताप, तहसील सुवासरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश
2.	(ऋण खाता संख्या LNMEBWN000161816 (पुराना) 80300005571303 (नया) (बरवानी शाखा) श्री देवेंद्र हम्माद (ऋणकर्ता) श्रीमती ज्योति हम्माद (सह-ऋणकर्ता)	09.03.2026 रु. 47,00,312/- (04.03.2026 तक)	वह संपत्ति जिसमें जमीन और इमारत शामिल है, मकान संख्या 78, पंजी संख्या 78, नया पीएच संख्या 9 (पुराना पीएच संख्या 23), क्षेत्रफल 1800 वर्ग फुट, बलकुनवा, तहसील एवं जिला - बरवानी, मध्य प्रदेश - 451556। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तरः बलकुनवा बरवानी मार्ग, दक्षिणः सरकारी पहाड़ी, पूर्वः राम मंदिर, पश्चिमः श्री खेमा पुत्र भानाजी का घर। साइट के अनुसार सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तरः सड़क, दक्षिणः अन्य मकान, फिर सरकारी पहाड़ी, पूर्वः राम मंदिर, पश्चिमः श्री खेमा पुत्र भानाजी का घर।

यदि उक्त उधारकर्ता सीजीसीएल को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सीजीसीएल अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के अंतर्गत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा, जिसकी लागत और परिणामों का जोखिम पूरी तरह से उक्त उधारकताओं का होगा। अधिनियम के तहत, उक्त उधारकताओं को सीजीसीएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना, बिक्री, पट्टे या अन्यथा, उपरोक्त परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए एक्टर नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है, उसे अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड का सामना करना पड़ेगा।

स्थानः इन्दौर
दिनांकः 18.03.2026
एसडी/- (प्राधिकृत अधिकारी), कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल) के लिए

WONDER HOME FINANCE Zindagi Ki Perfect Shuruaat

वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड (CIN No. U65999RJ2017PLC059619)

कॉर्पोरेट ऑफिस : 620, छठवीं मंजिल, नॉर्थ ब्लॉक, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, मालवीय नगर, जेएलएन रोड, जयपुर- 302017, टेलीफोनः 0141- 4750000

परिशिष्ट IV [देखें नियम 8(1)] कब्जा नोटिस

जबकि, अद्योहस्ताक्षरकर्ता **वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002" (2002 का 54) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 13 (12) का सपठित नियमों के नियम 3 के तहत प्रदत शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणियों को मांग सूचना पत्र निम्नलिखित तालिका के अनुसार निर्गमितकर तालिका में राशि 60 दिवस के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।

ऋणी / सहऋणी / बंधककर्ता / गारन्टर / ऋण खाता संख्या	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	स्थावर सम्पत्ति का विवरण	कब्जे की तारीख
(ऋण खाता संख्या) LN20082BT23-24017785, श्री राहुल सिसोदिया पुत्र श्री मान सिंह (ऋणी), श्रीमती बबीता बाई पत्नी श्री राहुल सिसोदिया (सहऋणी), श्री मान सिंह पुत्र तोलाराम (सहऋणी)	10-01-2026 13,57,406/- तेरह लाख सत्तावन हजार चार सौ छः:रुपये मात्र 08-01-2026 तक	श्री राहुल सिसोदिया पुत्र श्री मान सिंह एवं श्रीमती बबीता बाई पत्नी श्री राहुल सिसोदिया के सभी अभिन्न अंग स्थित पी.एच. नं. 130, मकान नं. 160, ग्राम राधा नगर, ग्राम पंचायत रायन, तहसील पीथमपुर, जिला धार, मध्य प्रदेश-454774, क्षेत्रफल लगभग 2288.00 वर्ग फीट, उत्तर: मुकुट सिंह का मकान, दक्षिण: स्वयं की भूमि, पूर्व: सड़क, पश्चिम: कालू सिंह का मकान	14 मार्च 2026
(ऋण खाता संख्या) LN20040HP24-25022914, श्री रतन सिंह बघेल (ऋणी), श्रीमती लंका बघेल (सहऋणी)	10-01-2026 5,81,060/- पाँच लाख इक्यासी हजार साठ रुपये मात्र 08-01-2026 तक	श्रीमती लंका बघेल के सभी अभिन्न अंग स्थित ओपन प्लॉट नं. 12, सर्वे नं. 35/2/1, पी. एच. नं. 37 (पुराना) 80 (नया), ग्राम कालीबिलोद, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश-453001।, क्षेत्रफल लगभग 600.00 वर्ग फीट, उत्तर: प्लॉट नं. 11, दक्षिण: प्लॉट नं. 13, पूर्व: सड़क, पश्चिम: प्लॉट नं. 06	14 मार्च 2026

ऋणियों द्वारा वह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणियों को तथा सामान्यजन को एतद् द्वारा सूचना दी जाती हैं कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) तथा सपठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों के अनुप्रयोग में उपरोक्त तालिका में वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा ग्रहण कर लिया है।
ऋणियों का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय के सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8)के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।
ऋणियों को विशिष्टतया और सर्व साधारण को सामान्यतया एतद द्वारा सम्पत्तियों के साथ काई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती हैं और सम्पत्ति के साथ कोई व्यवहार उपरोक्त तालिका में वर्णित राशि तथा आगे का ब्याज एवं कुल भुगतान होने तक "**वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड**" के प्रभार के अधीन होगा।

दिनांकः 17.03.2026 स्थानः इन्दौर, मप्र
प्राधिकृत अधिकारी वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)

IDFC FIRST Bank

CIN L65110TN2014PLC097792,
पंजीकृत कार्यालयः - केआरएम टावर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031. टेलीफोनः +91 44 4564 4000 फैक्सः +91 44 4564 4022

परिशिष्ट IV [नियम 8(1)] कब्जे का नोटिस (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के [नियम 3] के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधारकर्ता/सह-उधारकताओं और गारंटीकताओं को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर नीचे संलग्न मांग नोटिस में उल्लिखित राशि को मांग नोटिस की तिथि से भुगतान/वसूली तक अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्कों सहित चुकाने के लिए एक मांग नोटिस जारी किया है।
ऋणी/सह-ऋणी/गारंटर राशि चुकाने में असफल रहे हैं, इसलिए ऋणी/सह-ऋणी/गारंटर और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित, नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा ले लिया है।

ऋण खाता संख्या	खाता सह-उधारकर्ता/ओं का नंबर और गारंटर नाम	गिरवी रखी गई संपत्तियों का विवरण	मांग नोटिस		कब्जा लेने की तिथि और प्रकार
			दिनांक	बकाया राशि (रु.)	
81259441	1. गोपाल सेव सिंह 2. माला बाई	सर्वेक्षण सं. 227, ग्रामः झाड़ीबरोदा, ग्राम पंचायतः झाड़ीबरोदा, तहसील एवं जिलाः धार, म.प्र.-454774 में स्थित 38 x 27 = 1026 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाली वह संपत्ति, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में मलखान का घर, पश्चिम में मान सिंह का घर, उत्तर में मुख्य सड़क और दक्षिण में स्वयं की खुली भूमि।	30.04.2025	रू. 4,91,955.59/-	भौतिक कब्जा 13.03.2026
126496707	1. रायसिंह अंबाराम 2. अंबाराम नागूजी 3. समंद बाई	वह संपत्ति जिसका कुल क्षेत्रफल 900 वर्ग फुट (मापः 30x30) है, जो भूमि सर्वेक्षण संख्या 70, ग्रामः मत्रा, ग्राम पंचायतः बरखेड़ा मदन, पीएच नं. 41, तहसीलः नागदा, जिलाः उज्जैन, मध्य प्रदेश-456006 में स्थित है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तरः श्री नागु सिंह का घर, दक्षिणः सड़क, पश्चिमः हरि सिंह का घर, पूर्वः सड़क।	09.06.2025	रू. 5,24,117.90/-	भौतिक कब्जा 13.03.2026

विशेष रूप से उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर और आम जनता को एतद्द्वारा संपत्ति से संबंधित लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित किसी भी लेन-देन पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित) द्वारा मांग नोटिस में उल्लिखित राशि के साथ-साथ मांग नोटिस की तारीख से भुगतान/वसूली तक अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्क का प्रभार लगाया जाएगा।

अधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)

दिनांकः 13.03.2026
स्थानः मध्य प्रदेश